दस रुपये TEN RUPEES

रिविजन याचिका क्रं. ..../2018

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) केम्प इंदौर के समक्ष

(103)

निगरानी- 4917/2018/धार/भू.रा.

भेरूसिंह पिता प्रतापसिंह

आयु 55 साल व्यवसाय–कृषि

निवासी ग्राम बायखेडा तहसील व जिला धार म.प्र. .....प्रार्थी

विरुद्ध

1. शेतानबाई पति प्रतापसिंह
   निवासी ग्राम बायखेडा तहसील व जिला धार म.प्र.

2. राजेन्द्र कुमार पिता प्रहलादसिंह जाट
   निवासी ग्राम गुलवा तहसील व जिला धार म.प्र.

..... प्रतिप्रार्थीगण

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री मोहन शर्मा
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 02-07-18 को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

02-07-18

रिविजन याचिका अन्तर्गत धारा 50 एवं धारा 32 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

महोदय,

प्रार्थी की और से सादर निवेदन है कि :–

प्रार्थी यह रिविजन याचिका माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार जिला धार म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अपील/17–18 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2018 से असंतुष्ट होकर निम्न एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है कि :–

।। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ।।

01. यह कि, विपक्षी कमांक 1 द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार जिला धार के समक्ष राजस्व प्रकरण कमांक 46/अ–27/2016–17 के विरुद्ध प्रथम अपील धारा 44(1) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत की गई थी ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/4917/2018/धार/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	noted 30/5/19